



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001
Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com



RO/RPCB/SWM/KRL/1041/481-484

Date: 09/07/2024

M/s. Integrated Glass Material Limited,
R/o - 232, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar,
Bahapur, Mathura Road, New Delhi.

Subject:- Public hearing for grant of Environmental Clearance for Silica Sand and Masonary Stone Project ML No. 14/06, Area 12.909 hectare (Expansion and inclusion) Production Capacity - 790920 TPA (ROM) {Production of Silica Sand is 310050 TPA, inclusion of Masonry Stone - 465060 TPA and Waste 15810 TPA} at khasra No. 146, Near Village Khirkhira, Tehsil and Distt. Karauli (Raj.)


Reference:- Office of the District Collector Karauli letter no. 2870 dated 05.07.2024, Received through e mail on 08.07.2024.

Sir,

In reference to the above, please find enclosed a Public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily /Official state language news paper in any case on or before 20.07.2024. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Information Technology Centre, Village Khirkhira, Gram Panchayat - Kashipura, Tehsil & District Karauli, at 02:30 PM on 20/08/2024 for the environmental clearance of your Proposed project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP reports and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.


Yours sincerely


(Baljeet Meena)
Regional Officer

o/c R

Copy to the following for information & further necessary action :-

1. The Member Secretary, SEAC, Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur.
2. The District Collector Office, Karauli in compliance to letter no.2870 dated 05.07.2024.
3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari Jaipur to display public notice on website of the State Board.


Regional Officer o/c R



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलौनी, जेल के पीछेसवाई माधोपुर (राज.) 322001

फोन नं.: 07462-294921 ई-मेल - rorpcb.swm@gmail.com



क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./करौली 1041/

दिनांक:-

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स इन्टीग्रेटेड ग्लास मैटेरियल लिमिटेड, 232, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, बहापुर, मथुरा रोड, नई दिल्ली द्वारा प्रार्थना -पत्र मय दस्तावेज मैसेनरी स्टोन खनिज परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि, मैसर्स मैसर्स इन्टीग्रेटेड ग्लास मैटेरियल लिमिटेड,, एम.एल. नं. 14/06 ग्राम खिरखिरा, ग्राम पंचायत - काशीपुरा, तहसील-करौली, जिला - करौली परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
3. और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
1. उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
 - (1) कार्यालय जिला कलक्टर, करौली।
 - (2) कार्यालय जिला परिषद, करौली।
 - (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर।
 - (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
 - (6) जिला उद्योग केन्द्र, करौली।
 - (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, करौली।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आप परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन-सुनवाई हेतु दिनांक 20.08.2024 को आई.टी. केन्द्र, ग्राम खिरखिरा, ग्राम पंचायत - काशीपुरा, तहसील-करौली, जिला - करौली में समय दोपहर 2:30 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी